"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 103] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 मई 2012—वैशाख 11, शक 1934

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-15/खाद्य/2011/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नाप-तौल (अराजपत्रित) विभाग के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ नाप-तौल विभाग (तृतीय श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2012 कहलायेंगे।

   (2) ये नियम "राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, नियंत्रक नाप-तौल;

   (ख) "समिति" से अभिप्रेत है, शासन द्वारा अनुमोदित चयन समिति;

   (ग) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

   (घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(ङ) "विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जिसे शासन के संबंधित विभाग के किसी विशेष कार्यालय हेतु विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है;

(च) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5/पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नाप-तौल विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी) सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहे हों,

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, या तो स्थाई या अस्थायी तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा,

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है,

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्त्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति के साथ, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे ।

(5) मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने के लिए, मापदण्ड शासन द्वारा विहित किया जायेगा, तथापि नियुक्ति प्राधिकारी, के लिए यह आवश्यक होगा कि वह इस प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों के अलावा अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड (मानक) शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगें।

7. **सेवा में नियुक्ति** –इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्ते** – प्रतियोगिता परीक्षा / चयन हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी, अर्थात् :–

(एक) आयु –

(क) परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो ।

(ख) यदि अभ्यर्थी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगीः–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए । यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण – शब्द "छंटनी" किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक हैं, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 (छः) माह की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण – शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक हैं, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा सिविल) (जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

(पांच) अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो ।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम / मण्डल के कर्मचारी हैं, के लिए, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी ।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान–कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गयी नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

टीप :–(1) उपरोक्त खण्ड (घ) के उप–खण्ड (एक) एवं (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते है, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे । तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नही की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) आयु के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(ठ) उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गो के अधीन आयु में छूट दिये जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिये अभिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हता** :– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिए जैसी कि अनुसूची –तीन में दर्शित हैं ।

(तीन) **फीस** : अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा ।

9. **निरर्हता** :– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में शामिल होने के लिये उसे निरर्हित माना जा सकेगा ।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा** : परीक्षा/चयन में शामिल होने के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी/चयन मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी/चयन मण्डल द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती** :

(1) नियुक्ति प्राधिकारी तीन सदस्यों को मिलाकर एक चयन समिति गठित करेगा–

(एक) सेवा में भरती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे अंतरालों से ली जावेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, शासन के परामर्श से समय–समय पर, अवधारित करे।

(दो) परीक्षा, शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ली जायेगी।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती** :–

(एक) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करें;

(दो) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा द्वारा किया जायेगा; तथा

(तीन) चयन समिति, समय–समय पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित की जायेगी ।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये, सीधी भरती के प्रक्रम में पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियो या, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप–नियम (3) के

अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे।

(7) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि आरक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से, अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण लागू होगा ।

12. **विभागीय चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची :**

(1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नही है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा । यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्त के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों ।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :**

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये, अनुसूची– चार में उल्लिखित सदस्यों को मिलाकर एक समिति गठित की जायेगी :

परंतु, इस उपनियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिये, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अनधिक हो ।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार होगी ।

14. पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें :

(1) समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों में, जिससे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर, (चाहे मूल रूप में स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षो की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कालम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और जो उप नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हो।

स्पष्टीकरण :– पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति :– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति / छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के उपबंधों के अनुसार रहेगा ।

(3) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना :

(1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो । यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान

सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने हेतु पर्याप्त होगी।

(2) ऐसी सूची में कर्मचारियों के नाम शामिल किये जाने के लिये चयन, मेरिट तथा सभी प्रकार से उपयुक्तता (वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता) के आधार पर किया जायेगा ।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अनुसार, चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविर्निदिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण :– ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया है, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया है, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं किया जायेगा ।

16. चयन सूची :

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची –चार के कालम (2) में उल्लिखित पदों से, अनुसूची–चार के कालम (3) में उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(2) पदोन्नति के लिये चयन सूची, सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन तथा आयोग के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुर्नविलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :

(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा– संवर्ग के पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

18. **परिवीक्षा :** सेवा में सीधे अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया, प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

19. **निर्वचन :** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

20. **शिथिलीकरण :** इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :

परन्तु, कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो ।

21. **निरसन और व्यावृत्ति :** इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते है :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी ।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार किये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तो को प्रभावित नहीं करेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

अनुसूची–एक
(नियम–5 देखिये)

स.क.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पद की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अधीक्षक	01	तृतीय श्रेणी	9300–34800+ ग्रेड वेतन– 4300	नियंत्रक, नाप–तौल (छ.ग.)
2.	शीघ्रलेखक–III	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ ग्रेड वेतन – 2800	–"–
3.	सहायक ग्रेड–I	07	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ ग्रेड वेतन – 2800	–"–
4.	लेखापाल	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ ग्रेड वेतन – 2400	–"–
5.	सहायक ग्रेड–II	10	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ ग्रेड वेतन – 2400	–"–
6.	सहायक ग्रेड–III	30	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ ग्रेड वेतन – 1900	–"–
7.	वाहन चालक (भारी वाहन)	02	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ ग्रेड वेतन – 2200	–"–
8.	वाहन चालक (सामान्य)	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ ग्रेड वेतन – 1900	–"–

अनुसूची–दो
(नियम–6 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा/पद का नाम		कर्तव्य पद की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पद का प्रतिशत			टिप्पणियां
				सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	सेवा के मूल सदस्य की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्ति के स्थानांतरण द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नाप–तौल	1.	अधीक्षक	01	–	100 %	–	–
	2.	शीघ्रलेखक–III	01	100 %	–	–	–
	3.	सहायक ग्रेड–I	07	25% (सीमित विभागीय परीक्षा से)	75%	–	–
	4.	लेखापाल	01	–	100 %	–	
	5.	सहायक ग्रेड– II	10	–	100 %	–	–
	6.	सहायक ग्रेड–III	30	75 %	25 %	–	–
	7.	वाहन चालक (भारी वाहन)	02	50 %	50%	–	–
	8	वाहन चालक (सामान्य)	01	100 %	–	–	–

अनुसूची–तीन
(नियम–8 देखिये)

स. क.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शीघ्रलेखक –III	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी के लिए 35 वर्ष)	(1) मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । (2) किसी मान्य प्राप्त मंडल / संस्था या शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद् से – (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए कम्प्यूटर में 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ हिन्दी मुद्रलेखन तथा 100 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ हिन्दी शीघ्रलेखन का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए कम्प्यूटर में 35 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ अंग्रेजी मुद्रलेखन तथा 100 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ अंग्रेजी शीघ्रलेखन का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए कम्प्यूटर में उपरोक्त खण्ड (क) तथा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट मुद्रलेखन तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन का प्रमाण

				पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय प्रमाणपत्र/डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री में 10000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति ।
2.	सहायक ग्रेड –III	18 वर्ष	–"–	(1) मान्यता प्राप्त मंडल / विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी कम्प्यूटर मुद्रलेखन उत्तीर्ण । (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय प्रमाणपत्र/डिप्लोमा होनी चाहिए तथा 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति ।
3.	वाहन चालक (भारी वाहन)	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी के लिए 35 वर्ष)	(1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था / मण्डल से पूर्व माध्यमिक शाला परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । (2) भारी मोटर वाहन लायसेंस होना चाहिए । (3) क्रेन युक्त वाहन चलाने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव ।
4.	वाहन चालक	18 वर्ष	–"–	(1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था / मण्डल से माध्यमिक शाला परीक्षा उत्तीर्ण । (2) हल्का मोटर वाहन लायसेंस होना चाहिए ।

अनुसूची– चार
(नियम–14 देखिये)

स. क.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद के लिए पात्रता हेतु न्यूनतम अनुभव अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सहायक ग्रेड – I	अधीक्षक	05 वर्ष	1. उप नियंत्रक, नाप– तौल – अध्यक्ष 2. नियंत्रक, नाप–तौल द्वारा नामांकित दो सहायक नियंत्रक नाप–तौल सदस्य
2.	सहायक ग्रेड – II लेखापाल	सहायक ग्रेड – I	05 वर्ष	–
3.	सहायक ग्रेड – III (लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर)	लेखापाल	05 वर्ष	–
4.	सहायक ग्रेड – III	सहायक ग्रेड –II	05 वर्ष	–
5.	भृत्य / श्रम सहायक (जब वे विहित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण करते है)	सहायक ग्रेड –III	06 वर्ष	–
6.	हेल्पर (अर्हता धारक)	वाहन चालक (भारी वाहन)	06 वर्ष	–

रायपुर, दिनांक 1 मई 2012

क्रमांक एफ़ 1-15/खाद्य/2011/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 1st May, 2012

NOTIFICATION

F No. 1-15/Food/2011/29.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules to regulate the recruitment and conditions of service of the members of the Chhattisgarh Weights and Measures (Non-Gazetted) Department, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Chhattisgarh Weights and Measures Department (Class-III) Service Recruitment Rules, 2012.

   (2) These rules shall come into force with effect from their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Controller Weights and Measures;

   (b) "Committee" means the selection committee approved by Government;

   (c) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

   (d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

   (e) "Head of Department" means such officer who has been declared the Head of Department for any special office of the relating Department of the Government;

   (f) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-25/4-84, dated the 26th December, 1984;

   (g) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

   (h) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

   (i) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

   (j) "Service" means the Chhattisgarh Weights and Measures Subordinate (Class-III) Service;

   (k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of Service.-** The Service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.-** The classification of the Service, the number of posts included in the Service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.-** (1) Recruitment to the service, after the Commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :-

(a) By direct recruitment, on the basis of competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;

(b) By promotion of the members of the Services as specified in column (3) of Schedule-IV;

(c) By transfer of the persons who hold in a substantive capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause(c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods for recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority exigencies of the service so requires, the Appointing

Authority may, with the prior concurrence of General Administration Department, adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For the post to be filled up by direct recruitment on the merit basis, the criteria (norms) shall be prescribed by the Government, however it will be mandatory for Appointing Authority to constitute a Selection Committee for this purpose, which may adopt any other appropriate norms other than these norms with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the direction issued by the General Administration Department from time to time shall also be applicable.

7. **Appointment to the service.-** All appointments in the service after commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the method of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible to compete at the examination/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) **Age** - (a) A candidate must have attained the age prescribed in column (3) of Schedule III, and not attained the age given in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selection;

(b) The upper age limit shall also be relaxable up to maximum of 5 (five) years if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes;

(c) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 10 (ten) years to a women candidate, as per provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent/temporary Government Servant should not be more that 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporary and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work

charged employees and employees working in the Project Implementation Committee;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government Servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 (seven) years even if it represents more that one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years;

Explanation- The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less that 6 (six) months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 (three) years prior to the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate who is an Ex-servicemen shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more that 3 (three) years.

Explanation- The term "Ex-servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less that six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or application made otherwise for employment in Government Service:-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement,

(b) Fulfilling the conditions of enrolment.

(iii) Ex-personnel of the Madras Civil Units;

(iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);

(v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii)Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot wounds, etc;

(f) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 2 (two) years in respect of Green Cards holder candidate under Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste Marriage Incentive Scheme of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Development Department.

(h) The general upper age limit shall be relaxable up to 5 (five) years in respect of the Shahid Rajeev Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdev Award holder player and National Youth Award holder young candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of employees of Chhattisgarh State Corporations/ Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non-Commissioned Officers of Home Guard for the period of Home Guard service rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 (thirty eight) years.

Note.- (1) Candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after the examination/selection. They will, however continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed, the departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the examination/selection.

(k) In respect of age limit, the direction issued by General Administration department from time to time shall also be applicable.

(l) In any case maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 years, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(II) **Educational Qualification:-** The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) **Fees:-** The candidate must pay the fees as prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.-** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him to appear in examination/selection.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of the candidates shall be final.-** The decision of the Appointing Authority/Selection Board as to the eligibility or otherwise of a candidate for appearing in examination/ selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority/Selection Board shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination/Selection.-** (1) Appointing Authority shall constitute a Selection Committee consisting of three members -
   (i) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Government, from time to timc, determine.
   (ii) The examination shall be held by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

   (2) **Direct recruitment by selection -**
   (i) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, from time to time, determine;
   (ii) The selection of the candidates for the service shall be made by the Selection Committee; and
   (iii) The Selection committee shall be constituted by Appointing Authority from time to time.

   (3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, at the stage of direct recruitment, in accordance with the provision contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhde Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and orders issued by the Government from time to time.

(4) In filling up the vacancies so reserved, the candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be under sub-rule (3).

(6) At the stage of direct recruitment 30% posts shall be reserved for women candidates in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled by direct recruitment and in the opinion of the Appointing Authority, it is found that the sufficient number of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, with the requisite experience, is not likely to be available for recruitment on the reserved posts, then the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) Reservation for the physically handicapped candidates shall be applicable as per the directions issued by the General Administration Department from time to time.

12. List of Candidates recommended by the Selection Committee.- (1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Selection Committee and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by such standards, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961. candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

13. Appointment by Promotion.- (1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that for the purpose of constitution of the Committee under this sub-rule, the provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Promotion shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with the instructions issued by the Government of Chhattisgarh, General Administration Department from time to time.

14. Conditions of eligibility for promotion.- (1) The Committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of the service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government, as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation- Method of computation for eligibility for promotion.- The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeding cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) The reservation in Promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003.

(3) Promotion shall be made as per reservation roster prescribed by the Government.

15. Preparation of list of suitable candidates.- (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in Rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service, the list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and the promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability (seniority subject to fitness) in all respects.

(3) The names of employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or post as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of select list as per Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

Explanation- A person whose name is included in a selection list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Select list.- (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the select list for the promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (3) of Schedule-IV.

(2) The Select list for promotion shall be ordinarily valid for 31st December of the calendar year from the date of its preparation:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission, if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

17. Appointment to the Service from the Select List.- (1) Appointment of the persons included in the select list shall be made to the posts borne on the cadre in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable of appointment to the service.

18. **Probation.-** Every person recruited directly or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

21. **Repeal and saving.-** (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that, any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing contained in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instructions/order issued by the State Government from time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

VIKAS SHEEL, Secretary.

Schedule – I

(See rule - 5)

S. No.	Name of the post included in the Service	Total number of Post	Classification	Scale Of Pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Superintendent	01	Class - III	9300–34800 + G. Pay – 4300	Controller, Weights & Measures (C.G.)
2.	Stenographer- III	01	Class - III	5200–20200 + G. Pay – 2800	--"--
3.	Assistant Grade –I	07	Class - III	5200–20200 + G. Pay – 2800	--"--
4.	Accountant	01	Class - III	5200–20200 + G. Pay – 2400	--"--
5.	Assistant Grade –II	10	Class - III	5200–20200 + G. Pay – 2400	--"--
6.	Assistant Grade–III	30	Class - III	5200–20200 + G. Pay – 1900	--"--
7.	Driver (Heavy Vehicle)	02	Class - III	5200–20200 + G. Pay – 2200	--"--
8.	Driver (General)	01	Class - III	5200–20200 + G. Pay – 1900	--"--

Schedule – II
(See Rule - 6)

Name of the Department		Name of the service/post	Total Number of duty post	Percentage of the duty post to be filled in			Remark
				By direct recruitment [See rules 6(1)(a)]	By promotion of the substantive members of the service [See rule 6(1)(b)]	By Transfer of the person from other service [See rule 6(1)(c)]	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Weights and Measures	1.	Superintendent	01	-	100 %	-	-
	2.	Stenographer- III	01	100 %	-	-	-
	3.	Assistant Grade - I	07	25% (from limited Department Examination)	75 %	-	-
	4.	Accountant	01	-	100 %	-	-
	5.	Assistant Grade - II	10	-	100 %	-	-
	6.	Assistant Grade - III	30	75 %	25 %	-	-
	7.	Driver (Heavy Vehicle)	02	50 %	50 %	-	-
	8.	Driver (General)	01	100 %	-	-	-

Schedule – III

(See rule - 8)

S. No.	Name of service/post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Stenographer- III	18 Years	30 (35 Years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(1) Should have passed Higher Secondary Examination or 10+2 or Passed 1st year examination in Bachelor Course from recognized Board/ University. (2) From any recognized Board/Institute or Steno and Typing Council- (a) Passed certificate course of Hindi Shorthand with speed of 100 words per minute and Hindi typing in computer with speed of 30 words per minute for Hindi Stenographer. (b) Passed certificate course of English Shorthand with speed of 100 words per minute and English typing in computer with speed of 35 words per minute for English Stenographer. (c) Passed certificate course of Hindi and English Shorthand and Typing in computer as specified in clause (a) and (b) above for bilingual Stenographer. (3) Certificate/Diploma of one year in Data Entry Operator/ Programming and speed of 10,000 key depression data entry per hour from any recognized institution.
2.	Assistant Grade - III	18 Years	-,,--	(1) Should have passed Higher Secondary Examination or 10+2 or passed first year examination in Bachelor Course from recognized Board/ University. (2) Should have passed Hindi Computer typing from any recognized institution. (3) Should possess Certificate/ Diploma of one year in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institution and should have speed of 5,000 key depression per hour.

S. No.	Name of service/post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Driver (Heavy Vehicle)	18 Years	30 (35 Years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(1) Should have passed Middle School Examination from any recognized Institution/Board. (2) Should possess Heavy Motor Vehicle License. (3) Minimum 2 year experience of running carne equipped vehicles.
4.	Driver	-,,-	-,,-	(1) Should have passed Middle School Examination from any recognized Institution/Board. (2) Should possess Light Motor Vehicle License.

Schedule – IV

(See rule - 14)

S. No.	Name of service or post from which Promotion is to be made	Name of service or post on which Promotion is to be made	Minimum experience period for eligibility for post	Name of the members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Assistant Grade - I	Superintendent	05 Years	1. Deputy Controller Weights & Measures-Chairmen 2. Two Assistant Controller Weights & Measures Members nominated by Controller Weights & Measures.
2.	Assistant Grade - II Accountant	Assistant Grade - I	05 Years	
3.	Assistant Grade - III (When passed Account training)	Accountant	05 Years	
4.	Assistant Grade - III	Assistant Grade - II	05 Years	
5.	Peon / Manual; When they passed the prescribed qualifying education.	Assistant Grade - III	06 Years	
6.	Helper (Qualification Holder)	Driver (Heavy Vehicle)	06 Years	

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.